राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

कमांकः एफ.4(54)पट्टाअभि/विधि/पंरा/2017/498 जयपुर दिनांकः 30.5.2017

ज़िला कलेक्टर,
समस्त ।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
ज़िला परिषद,
समस्त ।

जैसा कि आपको विदित है कि राज्य सरकार द्वारा श्री भीमराव अम्बेडकर जयंती दिनांक 14.4.2017 से दिनांक 12.7.2017 तक ग्राम पंचायतों में पट्टाविहीन तथा भूखण्डविहीन पात्र व्यक्तियों को पट्टा/भूखण्ड आवंटित करने का महत्वपूर्ण अभियान **"दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण पट्टा वितरण अभियान"** पूरे प्रदेश में संचालित किया जा रहा है। इस अभियान की प्रगति की समीक्षा किये जाने पर यह पाया गया है कि अधिकांश ज़िलों में अपेक्षित प्रगति नही हो पा रही है ।

ऐसी स्थिति में इस अभियान के प्रति आम जनता का रूझान बढ़ाने तथा अधिक से अधिक पट्टे आवंटित किये जाने के लक्ष्यो की पूर्ति हेतु आपको अतिरिक्त प्रयास किये जाने की आवश्यकता है । अतः अभियान के संचालन हेतु आपके मार्गदर्शनार्थ निम्नानुसार बिन्दु दिये जा रहें, इनके अनुरूप यथासंभव कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करायें :–

1. **आबादी भूमि सीमाज्ञान :–** ज़िला कलेक्टर द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत में शिविर आयोजन तिथि से पूर्व पटवारियों एवं भू–अभिलेख निरीक्षको द्वारा समस्त राजस्व ग्रामों की आबादी भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाये । ज़िला कलेक्टर द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक शिविर में पटवारी, भू–अभिलेख निरीक्षक उपस्थित होकर पंचायत की मिसलों पर आबादी भूमि की रिपोर्ट अंकित करें ।
2. **अग्रिम दल गठन :–** सम्बन्धित विकास अधिकारी द्वारा शिविर आयोजन से पूर्व ही सभी सरपंचगण एवं ग्राम सेवको की बैठक कर इन्हें अभियान से सम्बन्धित समस्त जानकारी देते हुए, ग्राम पंचायतवार अग्रिम दल का गठन कर पूर्व तैयारी के निर्देश दिये जाये ।
3. **प्रचार–प्रसारः–** शिविर की तिथियों का ग्राम पंचायत नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने के साथ–साथ फ्लैक्सी बैनर्स के माध्यम से कार्यालय के वाहनों पर उन्हें लगा कर घुमाया जाये ताकि आमजन को शिविर की जानकारी हो सके । इसके

अलावा ई–मित्र केन्द्र आने वाले लोगों को व मनरेगा में लगे मज़दूरों को मेट द्वारा जानकारी दिया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

4. **पट्टा आवंटन हेतु प्राथमिकताः–** प्रधानमंत्री आवास योजना, बीपीएल परिवार, गाड़िया लोहार एवं एकल महिला मुखिया परिवार व शहीद की विधवा पत्नि वाले परिवारों का चिन्हिकरण कर प्राथमिकता से उन्हें पट्टे देने की कार्यवाही की जाये।
5. **आवेदन पत्र का सरलीकरणः–** पंचायत समिति स्तर से आवेदन पत्र का सरलीकरण प्रारूप तैयार कर ग्राम पंचायतों को वितरित किये जाये । जिसमें प्रारूप के साथ संलग्न दस्तावेजों यथा राशनकार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता परिचय पत्र(कोई एक दस्तावेज), फोटो, स्वयं का पुश्तैनी मकान होने का एवं पूर्व में पट्टा जारी नहीं होने का शपथ पत्र लिया जाने का उल्लेख हो ।
6. **नोडल प्रभारी की नियुक्तिः–** प्रत्येक ग्राम पंचायत पर शिविर आयोजन हेतु नोडल प्रभारी नियुक्त किया जाये ।
7. **शिविर पूर्व आवेदनों को प्राप्त करने की प्रगतिः–** पंचायत समिति में एक कार्मिक को प्रभारी नियुक्त कर ग्राम पंचायतों को शिविर पूर्व प्राप्त होने वाले आवेदनों की प्रगति की जानकारी लेने हेतु नियुक्त किया जाये । विकास अधिकारी द्वारा प्रतिदिन ग्राम पचायतवार प्राप्त आवेदनों की संख्या की समीक्षा की जाकर, जहां आवेदन कम प्राप्त हो रहे हों, वहां इस स्थिति के कारण मालूम कर उनका निराकरण किया जाये तथा उस ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव एवं अन्य स्टाफ को प्रेरित कर, अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया जाये ।
8. **पट्टा वितरण की तस्दीक :–** सम्बन्धित विकास अधिकारी द्वारा पट्टा अभियान शिविर में पट्टा प्राप्त लाभार्थियों की सूची तथा पंचायती राज नियमानुसार पट्टे की तृतीय प्रति ग्राम पंचायत से मंगवा कर वास्तविक रूप से शिविर दिवस को ही पट्टा वितरण की तस्दीक किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।
9. **स्टेशनरी की उपलब्धता :–** पंचायत समिति द्वारा समय पर पट्टा बुक, आवेदन पत्र इत्यादि छपवाकर ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करवाई जाये एवं पट्टा शिविर की मुहरे भी बनवाकर समय पर उपलब्ध करवाई जाये ।
10. **वाट्सअप ग्रुप :–** पंचायत समिति द्वारा ग्राम पंचायतों एवं कार्यालय में लगे कार्मिको के बनाये गये वाट्स ग्रुप के माध्यम से समय–समय पर पट्टा संबंधी जानकारी यथा सीमाज्ञान, चिन्हीकरण, स्टेशनरी इत्यादि के संबंध में समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

30/5/17

(नवीन महाजन)
शासन सचिव एवं आयुक्त